निबंधन सं० पी० टी०—40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

2 वैशाख 1924 (श०)

(सं० पटना, 168) पटना, सोमवार, 22 अप्रील 2002

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

20 अप्रील, 2002

संख्या-एल०जी० 1-016/2001/लेज: 130/:—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर राज्यपाल 18 अप्रील, 2002 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है:—

[बिहार अधिनियम, 4, 2002]

बिहार काष्ठ-चिरान (विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2002

बिहार काष्ठ-चिरान (विनियमन) अधिनियम 1990 का संशोधन करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में बिहार राज्य विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ:—

(1) यह अधिनियम बिहार काष्ठ-चिरान (विनियमन) (संशोधन), अधिनियम 2002 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. बिहार काष्ठ-चिरान (विनियमन) अधिनियम, 1990 की धारा-2 का संशोधन। उक्त अधिनियम की धारा-2 (छ) निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित की जायेगी।

2 (छ) "आरा मिल" से अभिप्रेत है ऐसा संयंत्र और मशीनरी जिससे, और ऐसा परिसर, जिसमें उसकी परिसीमाएं भी सम्मिलित हैं, जिसमें या जिसके किसी भाग में काष्ठ की चिराई विद्युत या यांत्रिक शक्ति की सहायता से की जाती है। विनियर एवं प्लाईवुड विनिर्माण यूनिट भी ऐसे आरा मिल की परिभाषा के अन्तर्गत आयेंगे।

---

20 अप्रील, 2002

संख्या-एल०जी० 1-016/2001/लेज: 131:—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और राज्यपाल द्वारा 18 अप्रील, 2002 को अनुमत बिहार काष्ठ-चिरान (विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2002 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद ३४८ के खंड (३) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[Bihar Act 4, 2002]

THE BIHAR SAW MILL (REGULATION) (AMENDMENT) BILL, 2002

AN

ACT

TO AMEND THE BIHAR SAW MILL (REGULATION) ACT, 1990.

Be it enacted by the Legislature of the State Bihar in the Fifty Third Year of the Republic of India as follows:—

1. *Short title, extent and commencement.*—

(1) This Act may be called The Bihar Mills (Regulation) (Amendment) Act-2002.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force at once.

2. Amendment of section-2 of the Bihar Saw (Regulation) Act, 1990.—Section 2 (G) of the above Act shall be substituted by the following:—

"2(G) "Saw Mill" means the plant machinery with which and the premises including the precincts there of in which or in any part which sawing is carried with the aid of electrical mechanical power. It shall also include veneer plywood manufacturing unit".

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजेन्द्र प्रसाद,
सचिव, विधि विभाग, बिहार।

अधीक्षक, राजकीय लेखन सामग्री भंडार एवं प्रकाशन, पटना द्वारा प्रकाशित तथा
अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण), 168 लाईनो + डी०टी०पी० — 571+390